बिहार सरकार

उद्योग विभाग

पत्रांकः............................../ पटना, दिनांकः–

6/स0– अपील (संजय प्रिंटिंग वर्क्स)–12/2017

प्रेषकः

सरकार के उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री नवीन चन्द्र जायसवाल,
पार्टनर संजय प्रिंटिंग वर्क्स,
राय जयकृष्ण रोड, गोरहट्टा पटना सिटी–8.

विषयः– अपीलवाद संख्या–12/2017 मे0 संजय प्रिंटिंग वर्क्स पटना बनाम प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम पटना में अपीलीय समिति द्वारा पारित आदेश की प्रति उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अपीलवाद संख्या–12/2017 मे0 संजय प्रिंटिंग वर्क्स पटना बनाम प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम पटना के मामले में दिनांक 26.03.2018 को सुनवाई के पश्चात पारित आदेश की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 6/स0– अपील (संजय प्रिंटिंग वर्क्स)–12/2017 –................./पटना, दिनांकः../
प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को /प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 6/स0– अपील (संजय प्रिंटिंग वर्क्स)–12/2017–1919/पटना, दिनांकः 10.05.18
प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेव–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

अपील वाद संख्या– 12/2017 मे0 संजय प्रिन्टिंग वर्क्स बनाम प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कौरपोरेशन लि0, बुद्ध मार्ग, पटना में अपीलीय समिति के द्वारा पारित आदेशः–

सामग्री खरीद अधिमानता नीति, 2002 के नियम 11 (क) में निहित प्रावधान के आलोक में मे0 संजय प्रिन्टिंग वर्क्स के द्वारा प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कौरपोरेशन लि0, पटना द्वारा प्रयास भाग–1, 2 एवं 3 की छपाई एवं आपूर्त्ति हेतु प्रकाशित निविदा संख्या क्रमशः 1551/Prayas-1,II,III/ BSTBPC/ 2017–18 में बिहार वित्त नियमावली 2005 एवं सामग्री खरीद अधिमानता नीति, 2002 में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार राज्य में अवस्थित एवं निबंधित SSI Unit के हित में सम्यक प्रावधान नहीं करने के संबंध में प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित अपीलीय समिति के समक्ष अपील दायर किया गया।

2. सामग्री खरीद अधिमानता नीति, 2002 की कंडिका– 2.11.क में प्रावधान है कि किसी भी निविदादाता को निविदा के किसी भाग या पूर्ण भाग पर आपत्ति है तो वह निविदा के विरूद्ध प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में गठित अपीलीय समिति के समक्ष शिकायत कर सकता है।

3. अपीलीय समिति की बैठक दिनांक 19.01.2018, 13.03.2018, 23.03.2018 को निर्धारित की गई किंतु अपरिहार्य कारणवश बैठक नहीं हो पाई।

4. अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में गठित अपीलीय समिति की बैठक अंतिम रूप से दिनांक 26.03. 2018 को सम्पन्न हुई जिसमें उभय पक्ष उपस्थित हुए। अपीलीय समिति द्वारा उभय पक्षों के दावे एवं प्रत्युत्तर तथा उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

5. प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कौरपोरेशन लि0, पटना के द्वारा समिति को बताया गया कि प्रयास भाग–1, 2 एवं 3 की छपाई एवं आपूर्त्ति हेतु ई–टेंडर प्रकाशित किया गया। प्रश्नगत ई–टेंडर के निष्पादन की प्रक्रिया के क्रम में चयनित निविदादाता को पूर्व में ही आपूर्त्ति आदेश निर्गत किया जा चुका है और आपूर्त्ति की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है।

6. अपीलार्थी द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कौरपोरेशन लि0, पटना के द्वारा जो भी निविदा प्रकाशित की जा रही है उसमें टर्नओवर काफी अधिक रखा गया है, दो रंग की पुस्तक की छपाई के लिए चार रंग की मशीन को रखने का प्रावधान रखा गया है, साथ ही अन्य ऐसे अनावश्यक प्रावधान किए जा रहा है जिससे बिहार राज्य में अवस्थित एवं निबंधित उद्योग भाग ही नहीं ले पाएँगे जो राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के हित में नहीं है।

7. समिति के द्वारा उभय पक्षों के अभिकथनों, उपलब्ध अभिलेखों एवं सामग्रियों के क्रय तथा सेवाओं की प्राप्ति के संबंध में सरकारी नीतियों/ प्रावधानों पर सम्यक विचार किया गया। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सामग्रियों के क्रय तथा सेवाओं की प्राप्ति के संबंध में सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक ईकाइयों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई गई है। राज्य के सरकारी विभागों/ निकायों में सामग्रियों का क्रय बिहार वित्तीय नियमावली में निहित प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों साथ ही सामग्री खरीद अधिमानता नीति, 2002 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाना है। सामग्रियों के क्रय में राज्य में अवस्थित एवं निबंधित उद्योगों द्वारा उत्पादित सामग्री को बाहर के उद्योगों की तुलना में प्राथमिकता एवं अधिमानता दिया जाना है।

8. बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 131 बी0, ओ0 एवं बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2014 तथा अन्य संशोधनों में तथा सामग्री खरीद अधिमानता नीति, 2002 एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 की कंडिका–7 में किए गए प्रावधान राज्य में अवस्थित एवं निबंधित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम ईकाई को प्राथमिकता एवं अधिमानता देने से ही संबंधित हैं।

क्रमशः पृष्ठ–2

9. समिति का यह अभिमत है कि क्रय की जाने वाली सामग्रियों, जिसे यदि सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक ईकाइयाँ उत्पादित करती है तो उसके क्रय में सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक ईकाइयों को अधिमानता देना है।

10. समिति के द्वारा पाया गया कि ई–निविदा में राज्य में अवस्थित एवं निबंधित औद्योगिक ईकाइयों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अतएव समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए गए:–

(i) चूँकि प्रयास भाग–1, 2 एवं 3 की छपाई कर शीघ्रताशीघ्र उसकी आपूर्त्ति विद्यालयों को क़ी जानी है, अतएव छात्रहित में प्रश्नगत आपूर्त्ति आदेश को सम्प्रति प्रभावित करना उचित नहीं है।

(ii) प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कौरपोरेशन लि0, पटना के द्वारा भविष्य में जो भी निविदा प्रकाशित किया जाय उसमें राज्य में अवस्थित एवं निबंधित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक ईकाइयों के हित को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त कंडिका 8 में उल्लेखित नियम/ नियमावली/ नीति के आलोक में प्रावधान रखेंगे।

11. समिति द्वारा सर्वसम्मति से उपर्युक्त Observations के साथ प्रस्तुत अपील वाद को निष्पादित किया जाता है तथा अपील वाद की सुनवाई समाप्त की जाती है।

27/3/18	27.03.2018		27/3/2018
(मृत्युंजय कुमार) आंतरिक वित्तीय सलाहकार	(रविन्द्र प्रसाद) निदेशक, तकनीकी विकास बिहार, पटना सदस्य	(पंकज कुमार सिंह) उद्योग निदेशक, बिहार, पटना सदस्य	(डा0 एस0 सिद्धार्थ) प्रधान सचिव उद्योग विभाग, बिहार, पटना –सह– अध्यक्ष, अपीलीय समिति